

अध्याय 2


वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे, विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोजनों की राशि के साथ तुलना किए गए प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के प्रभारित और दत्तमत खर्च के लेखे हैं। ये लेखे मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करते हैं और बजट की दोनों प्रभारित और दत्तमत मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय इंगित करते हैं। विनियोजन लेखे, इस प्रकार, वित्तों का प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की मॉनीटरिंग को सरल बनाते हैं और इसलिए, वित्त लेखाओं के पूरक हैं।

विनियोजन लेखा बजट बनाने की प्रक्रिया और इसके कार्यान्वयन (चार्ट 2.1) से संबंधित गतिविधियों का समावेश है।

चार्ट 2.1: बजट कार्यान्वयन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन



स्रोत: बजट मैनुअल और विनियोजन लेखे

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियमों के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किए जाने हेतु अपेक्षित व्यय को इस प्रकार प्रभारित किया जाता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा में अवलोकित बजट एवं व्यय के प्रबंधन में कमियां तथा बजट मैनुअल का उल्लंघन अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किया गया है।

2.2 विनियोजन लेखाओं का संक्षेप

2017-18 में व्यय के लिए कुल प्रावधान ₹ 1,24,990.40 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक सकल व्यय ₹ 1,02,962.69 करोड़ (82 प्रतिशत) था। इसके परिणामस्वरूप 2017-18 में ₹ 22,027.71 करोड़ की बचत¹ हुई। विवरण नीचे तालिका 2.1 में दिए गए हैं:

तालिका 2.1: मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति

(₹ करोड़ में)						
	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	69,002.94	5,646.83	74,649.77	61,359.29	(-) 13,290.48
	II पूंजीगत	21,460.31	5,165.85	26,626.16	21,663.85	(-) 4,962.31
	III ऋण एवं अभिम	1,326.07	277.77	1,603.84	1,394.89	(-) 208.95
कुल दत्तमत		91,789.32	11,090.45	1,02,879.77	84,418.03	(-) 18,461.74
भारित	IV राजस्व	11,432.02	633.64	12,065.66	12,131.71	(+) 66.05
	V पूंजीगत	100.00	0.00	100.00	74.10	(-) 25.90
	VI लोक ऋण का पुनर्भुगतान	9,944.97	0.00	9,944.97	6,338.85	(-) 3,606.12
कुल भारित		21,476.99	633.64	22,110.63	18,544.66	(-) 3,565.97
आकस्मिक निधि से विनियोजन		-	-	-	-	-
कुल योग		1,13,266.31	11,724.09	1,24,990.40	1,02,962.69	(-) 22,027.71


नोट: ऊपर दर्शाए गए व्यय, राजस्व शीर्षों (₹ 233.64 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 8,200.04 करोड़) के अंतर्गत व्यय की कटौती के रूप में लेखाओं में समायोजित वसूलियां परिगणना में लिए बिना, सकल आंकड़े हैं।

₹ 11,724.09 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान द्वारा मूल प्रावधान का 10 प्रतिशत संघटित किया गया जोकि गत वर्ष में चार प्रतिशत था।

¹ बचत वह पारिभाषिक शब्द है जो उस राशि को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है जो बजट प्रावधानों में से खर्च नहीं की जा सकी।

2.2.1 विनियोजन लेखा 2017-18 का विश्लेषण

चार्ट 2.2: बजट को कैसे कार्यान्वित किया गया था



स्रोत: विनियोजन लेखा

₹ 22,027.71 करोड़ की समग्र बचतें, राजस्व (दत्तमत) के अंतर्गत 43 अनुदानों तथा राजस्व (भारित) खंड के अंतर्गत 15 अनुदानों, पूंजीगत (दत्तमत) के अंतर्गत 25 अनुदानों, पूंजीगत (भारित) खंड के अंतर्गत दो अनुदानों और ऋण खंड के अंतर्गत एक विनियोजन (लोक ऋण का पुनर्भुगतान) में ₹ 22,568.31 करोड़ की बचतों तथा राजस्व (दत्तमत) खंड के अंतर्गत अनुदान संख्या 6-वित्त (₹ 375.60 करोड़), राजस्व (भारित) खंड के अंतर्गत अनुदान संख्या 6-वित्त (₹ 73.88 करोड़), पूंजीगत (भारित) के अंतर्गत अनुदान संख्या 24-सिंचाई (₹ 91.12 करोड़) में ₹ 540.60 करोड़ के आधिक्य के कारण थी। ₹ 540.60 करोड़ के आधिक्य का संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमन अपेक्षित है।

तालिका 2.2: विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत कुल आधिक्य अथवा बचत

विवरण	अनुदानों/विनियोजन की संख्या					राशि (₹ करोड़ में)
	राजस्व (दत्तमत)	राजस्व (भारित)	पूंजीगत (दत्तमत)	पूंजीगत (भारित)	लोक ऋण पुनर्भुगतान	
बचत	43	15	25	2	1	22,568.31
अधिक व्यय	1	1	1	-	-	540.60

स्रोत: विनियोजन लेखा

₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाले अनुदान परिशिष्ट 2.2 में सूचीबद्ध हैं।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन

2.3.1 प्रावधान के बिना व्यय

बजट मैनुअल के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना, कोई व्यय स्कीम/सेवा पर नहीं किया जा सकता। फिर भी, यह देखा गया कि **परिशिष्ट 2.1** में दिए गए ब्यौरे अनुसार छः मामलों में मूल अनुदानों/पूरक मांगों में बिना किसी प्रावधान के तथा इस संबंध में किसी पुनर्विनियोजन आदेशों के बिना ₹ 16.96 करोड़ का व्यय किया गया।

2.3.2 प्रावधानों पर आधिक्य जिसे विनियमन की जरूरत है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकारों के लिए यह जरूरी है कि अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य राज्य विधायिका से विनियमित करवाए जाएं। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है; लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं की चर्चा के पूरा होने के बाद अधिक व्यय विनियमित किया जाता है। परंतु, वर्ष 2016-17 हेतु ₹ 256.98 करोड़ की राशि का अधिक व्यय लोक लेखा समिति द्वारा चर्चित नहीं किया गया था तथा वर्ष 2017-18 से संबंधित ₹ 540.60 करोड़ भी अभी विनियमित किए जाने शेष थे।

यह विधायी मंशा के विपरीत है और सार्वजनिक धन के उपयोग पर कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पराजित करता है। इस प्रकार लंबी अवधि के लिए अतिरिक्त व्यय को नियमित न करवाने को गंभीरता से देखने की आवश्यकता है क्योंकि यह सरकारी खजाने पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करता है और इसलिए अतिरिक्त व्यय के सभी मौजूदा मामलों को जल्द से जल्द नियमित करने की आवश्यकता है।

2.3.3 आबंटनों की तुलना में बचतें

विनियोजन लेखापरीक्षा में पाया गया कि 33 प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत थी (**परिशिष्ट 2.2**)। ₹ 98,613.21 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 76,992.85 करोड़ था तथा बचतें ₹ 21,620.36 करोड़ थीं। 10 अनुदानों शीर्षक- 9-शिक्षा (राजस्व-दत्तमत), 15-स्थानीय शासन (राजस्व-दत्तमत), 24-सिंचाई (राजस्व दत्तमत), 27- कृषि (राजस्व-दत्तमत), 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (राजस्व दत्तमत), 36-गृह (राजस्व दत्तमत), 40-ऊर्जा एवं विद्युत (राजस्व दत्तमत), 8-भवन एवं सड़कें (पूंजीगत-दत्तमत), 23-खाद्य एवं आपूर्ति (पूंजीगत-दत्तमत), 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (पूंजीगत-दत्तमत) तथा लोक ऋण में बचतें ₹ 500 करोड़ से अधिक थीं।

2.3.4 निरंतर बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान 15 अनुदानों तथा एक विनियोजन ने ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें दर्शाई तथा जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थी (तालिका 2.3)।

तालिका 2.3: निरन्तर बचतें दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व (दत्तमत)						
1	07-आयोजना एवं सांख्यिकी	280.85 (51)	333.58 (81)	237.74 (58)	283.17 (62)	10.76 (26)
2	09-शिक्षा	1,818.31 (21)	1,369.49 (14)	2,317.26 (20)	3,436.36 (25)	2,345.71 (17)
3	11-खेल एवं युवा कल्याण	56.33 (31)	58.82 (25)	84.43 (27)	105.84 (25)	211.20 (46)
4	13-स्वास्थ्य	279.74 (14)	576.18 (21)	547.14 (18)	595.38 (18)	434.07 (12)
5	14-शहरी विकास	118.37 (62)	32.64 (24)	63.06 (37)	12.47 (13)	53.95 (51)
6	15-स्थानीय शासन	589.57 (27)	584.00 (28)	1,407.70 (43)	879.77 (25)	1,462.93 (27)
7	17-रोजगार	25.61 (33)	25.15 (31)	29.62 (38)	16.12 (23)	56.52 (24)
8	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	24.32 (13)	24.00 (11)	30.39 (12)	52.67 (19)	122.11 (29)
9	19-एस.सी., एस.टी., ओ.ओ.र .सी.बी. को का कल्याणसंख्यअल्प	140.96 (30)	95.10 (26)	323.20 (49)	213.79 (27)	357.63 (47)
10	21-महिला एवं बाल विकास	157.81 (22)	195.08 (22)	268.23 (27)	368.88 (33)	232.26 (22)
11	23-खाद्य एवं आपूर्ति	185.52 (51)	166.43 (45)	122.74 (33)	115.61 (14)	311.20 (54)
12	27-कृषि	256.92 (24)	473.74 (37)	374.19 (27)	826.91 (43)	648.44 (34)
13	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	345.36 (16)	580.95 (23)	815.54 (28)	366.90 (10)	1,193.68 (26)
पूंजीगत (दत्तमत)						
14	21-महिला एवं बाल विकास	193.87 (99)	163.97 (74)	168.82 (79)	37.37 (34)	110.87 (64)
15	38-जन-स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	137.28 (11)	146.74 (13)	323.70 (28)	310.50 (25)	273.98 (19)
पूंजीगत (भारित)						
16	लोक ऋण	5,027.64 (38)	5,622.44 (41)	2,820.83 (28)	4,401.67 (45)	3,606.12 (36)

* कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

2017-18 के दौरान 16 विकास स्कीमों (वेतन/स्थापनाओं से पृथक) में ऊपर उल्लिखित अनुदानों के अंतर्गत बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी (तालिका 2.4)।

तालिका 2.4: उन मामलों के विवरण जिनमें बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी

क्र. सं.	अनुदान का नाम और स्कीम का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	बजट पर बचत प्रतिशतता
1.	अनुदान संख्या 9-शिक्षा				
(i)	2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्राथमिक शिक्षा, 111-सर्व शिक्षा अभियान	741.38	452.30	289.08	39
(ii)	सामान्य शिक्षा 2202, 02-माध्यमिक शिक्षा, 109सरकारी माध्यमिक विद्यालय-, 86-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	400 ² .00	227.14	172.86	43
2.	15-स्थानीय शासन				
(i)	2217-शहरी विकास, 80-जनरल, 192-नगर समितियोंपरिषदों को सहायता/, 86- नया शहरी नवीनीकरण मिशन	440.00	123.50	316.50	72
(ii)	2217-शहरी विकास, 80-जनरल, 192-नगर समितियोंपरिषदों को सहायता/, 87-स्मार्ट सिटी	800.00	204.00	596.00	75
(iii)	2217-शहरी विकास, 80-जनरल, 192-नगर समितियोंपरिषदों को सहायता/, 92-स्टॉम्प शुल्क की आय से नगर समितिपरिषद तक / स्थानीय निकायों में योगदान	314.60	96.58	218.02	69
(iv)	2217-शहरी विकास, 80-जनरल, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 91-शहरी स्थानीय निकायों के लिए वेट पर अनुसूचित जाति घटक के लिए अधिभार का हिस्सा	594.00	424.87	169.13	28
3.	19-एस.सी., एस.टी., ओकों का कल्याणसंख्यऔर अल्प .सी.बी.				
(i)	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों के कल्याण, 277-शिक्षा, 99-अनुसूचित जाति के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	325.14	110.23	214.91	66
4.	21-महिला एवं बाल विकास				
(i)	2236-पोषण, 02-पौष्टिक खाद्य और पेय पदार्थों का वितरण, 101-विशेष पोषण कार्यक्रम, 95-पूरक पोषण कार्यक्रम	183.30	81.52	101.78	56
5.	23-खाद्य एवं आपूर्ति				
(i)	2408-खाद्य, भंडारण और गोदाम, 01-खाद्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-दाल रोटी स्कीम	300.00	50.91	249.09	83
6.	27-कृषि				
(i)	2401-फसल पालन, 109-विस्तार और किसान प्रशिक्षण, 80-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए स्कीम	400.00	190.17	209.83	52
(ii)	2401-फसल पालन, 111-कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, 90-प्रधान मंत्री फासल बीमा	300.00	144.94	155.06	52

क्र. सं.	अनुदान का नाम और स्कीम का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	बजट पर बचत प्रतिशतता
	योजना के रूप में नामित संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम				
7.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास				
(i)	2505-ग्रामीण रोजगार, 01-राष्ट्रीय कार्यक्रम, 702-जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, 93-इंदिरा आवास योजना मुक्त .टी.एस./सी.के अंतर्गत एस (.आर.एन) बंधुआ श्रमिक के लिए घरों का उन्नयन/निर्माण	125.00	19.54	105.46	84
(ii)	2505-ग्रामीण रोजगार, 01-राष्ट्रीय कार्यक्रम, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 98- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति मुक्त बंधुआ श्रमिक के लिए घरों का निर्माण/उन्नयन के लिए स्कीम/	177.00	26.64	150.36	85
(iii)	2505-ग्रामीण रोजगार, 02-ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, 99-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (.एस.जी.ई.आर.एन.जी.एम)	284.00	162.49	121.51	43
(iv)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 102सामुदायिक विकास-, 93-स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता के लिए स्कीम के रूप में पुननामांकित पूर्ण स्वच्छता : निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत /अभियान ग्रामीणस्वच्छता कार्यक्रम	168.00	28.83	139.17	83
8.	लोक ऋण				
(i)	6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण, 107-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों से ऋण	6,500.00	3,700.00	2,800.00	43

विकास योजनाओं पर व्यय का एक विस्तृत विश्लेषण अनुच्छेद 2.5.3 में किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कार्यान्वित नहीं की गई योजनाओं, संशोधित परिव्यय में कमी, संशोधित परिव्यय में वृद्धि परंतु कम व्यय, नई स्कीमों में प्रावधान के बावजूद शून्य व्यय आदि शामिल हैं।

2.3.5 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 24 मामलों में पूरक प्रावधानों द्वारा प्राप्त कुल ₹ 2,568.14 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं आया। 14 मामलों में ₹ 2,185.04 करोड़ का पूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में वर्णित है। दूसरी ओर तीन मामलों में ₹ 2,478.42 करोड़ का पूरक अनुदान अपेक्षाओं को वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं था और 18 प्रतिशत तक कम पड़ गया (**चार्ट 2.3**)।

चार्ट 2.3: अनावश्यक, अधिक तथा अपर्याप्त पूरक प्रावधान



स्रोत: विनियोजन लेखा

सरकार, बृहद् बचतों तथा पूरक प्रावधानों से बचने के लिए सही बजट अनुमान तैयार करने पर विचार कर सकती है।

2.3.6 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई, जहां बचत होने का अनुमान हो, से दूसरी इकाई जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता हो, निधियों का अंतरण है। पुनर्विनियोजन अत्यधिक अभ्यर्पणों या अपर्याप्त वृद्धि के कारण अनुचित सिद्ध हुए और परिणामस्वरूप 34 उप-शीर्षों में ₹ 687.28 करोड़ से अधिक के आधिक्य और 41 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 787.36 करोड़ से अधिक की बचतें हुईं (प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक) जैसाकि **परिशिष्ट 2.4** में वर्णित है। 20 उप-शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य/बचतें ₹ 10 करोड़ से ज्यादा थीं। नौ³ मामलों में, पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधानों में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुईं क्योंकि वास्तविक व्यय मूल और पूरक प्रावधानों से ज्यादा था। इसी तरह, एक⁴ मामले में निधियों का पुनर्विनियोजन ज्यादा सिद्ध हुआ क्योंकि बचतें पुनर्विनियोजन द्वारा प्रदान की गई निधियों से भी ज्यादा थीं।

2.3.7 निधियां अभ्यर्पित न करना तथा अधिक अभ्यर्पित करना

वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर, 59 मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियां अभ्यर्पित की गईं। इन मामलों में, कुल प्रावधान ₹ 1,23,901.46 करोड़ था तथा वास्तविक व्यय ₹ 1,01,938.34 करोड़ था परिणामतः ₹ 22,503.71 करोड़ की बचतों तथा ₹ 540.60 करोड़ के आधिक्य के कारण ₹ 21,963.11 करोड़ की निवल बचतें हुईं, जिसके

³ **परिशिष्ट 2.4** की क्रम संख्या 4, 6, 9, 13, 14, 67, 71, 73 तथा 74

⁴ **परिशिष्ट 2.4** की क्रम संख्या 7

विरुद्ध ₹ 22,731.21 करोड़ अभ्यर्पित किए गए (**परिशिष्ट 2.5**) जो बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।

आगे विश्लेषण ने प्रकट किया कि 23 मामलों में ₹ 8,637.78 करोड़ की बचतों के विरुद्ध ₹ 418.09 करोड़ की बचतें अभ्यर्पित नहीं की गईं जो पंजाब बजट मैनुअल (हरियाणा को भी लागू) के पैराग्राफ 13.2 के प्रावधानों के विरुद्ध था। 15 मामलों में ₹ 8,813 करोड़ की बचतों के विरुद्ध ₹ 9,158.16 करोड़ अभ्यर्पित किए गए थे तथा 6-वित्त (राजस्व दत्तमत), (राजस्व भारित) एवं 24-सिंचाई (पूँजीगत दत्तमत) में यद्यपि वास्तविक व्यय क्रमशः ₹ 375.60 करोड़, ₹ 73.88 करोड़ एवं ₹ 91.12 करोड़ तक अधिक थे, परंतु फिर भी ₹ 11.99 करोड़, ₹ 10.25 करोड़ एवं ₹ 278.19 करोड़ की निधियां अनुचित रूप से अभ्यर्पित की गईं। 18 मामलों में ₹ 5,052.93 करोड़ की सभी बचतें अभ्यर्पित की गईं थीं। कम अभ्यर्पण तथा अधिक अभ्यर्पण के कारण राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किए गए थे।

2.3.8 व्यय का वेग

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के अनुसार व्यय के वेग को विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाता है और इससे बचना चाहिए। इसके विपरीत **परिशिष्ट 2.6** में सूचीबद्ध 15 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 21 शीर्षों के संबंध में ₹ 10 करोड़ से अधिक खर्च और वर्ष के लिए कुल खर्च का 50 प्रतिशत से भी ज्यादा वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया।

आगे संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2017-18 के दौरान 15 अनुदानों के अंतर्गत 21 मुख्य शीर्षों पर किए गए ₹ 11,205.77 करोड़ के व्यय में से, ₹ 3,682.69 करोड़ (32.86 प्रतिशत) का खर्च मार्च 2018 के महीने के दौरान किया गया। अंतिम तिमाही के दौरान विशेषतः मार्च महीने के दौरान व्यय का वेग दर्शाता है कि वित्तीय नियमों का अनुपालन नहीं किया गया।

राज्य सरकार, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय के वेग से बचने के लिए उपयुक्त उपायों का सूत्रपात करने पर विचार कर सकती है।

2.4 खजानों के कार्यचालन में देखी गई कमियां

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) {म.ले. (ले. व हक.)} हरियाणा द्वारा 2017-18 के लिए संकलन एवं निरीक्षण के दौरान खजानों के कार्यचालन में देखी गई कमियां नीचे दी गई हैं:

2.4.1 खजानों द्वारा मासिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

वर्ष के दौरान, छः⁵ ट्रेजरीज से लेखे 17 मामलों (आठ मामलों में भुगतान की पहली सूची तथा नौ मामलों में भुगतान की दूसरी सूची) में देरी से प्राप्त हुए थे। 96.85 प्रतिशत लेखे समय पर प्राप्त हुए थे। प्रारंभिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब के कारण महालेखाकार (ले. व हक.) द्वारा मासिक सिविल लेखाओं के संकलन में विलंब हुआ।

⁵ फरीदाबाद, अंबाला, फतेहाबाद, पानीपत, करनाल तथा नूंह (मेवात)।

2.4.2 खजानों से प्रतीक्षा वाउचर की प्राप्ति में देरी

पंजाब वित्तीय नियम वॉल्यूम-1 का नियम 3.17, इस बात पर जोर देता है कि ट्रेजरी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय में भेजे जाने वाले प्रासंगिक मासिक सिविल खातों से संबंधित सभी वाउचर साथ में संलग्न हैं।

खातों की वाउचरवार पोस्टिंग/सत्यापन (संकलन) करते समय, ₹ 6.88 करोड़ से आवेष्टित 531 वाउचर (1999-2000 और 2014-15 के मध्य श्रृंखलित) अभी भी विभिन्न ट्रेजरी अधिकारियों से मार्च 2018 तक प्रतीक्षित थे और उपर्युक्त इंगित की गई चूकें निरंतर जारी रहीं। मिसिंग वाउचरों के कारण सस्पेंस हेड के अंतर्गत बकाया राशि का ट्रेजरी-वार विवरण परिशिष्ट 2.7 में दिया गया है।

2.4.3 खजानों से प्रतीक्षित विस्तृत आकस्मिक बिल

पंजाब ट्रेजरी नियम और सहायक ट्रेजरी नियम (वॉल्यूम -1) के नियम 4.49(4) में निहित प्रावधानों के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा जिस माह में अग्रिम आकस्मिक बिल तैयार किए जाते हैं उसके अनुवर्ती माह के अंत तक विस्तृत आकस्मिक बिल जमा किए जाने अपेक्षित हैं। लेकिन ₹ 56.95 करोड़⁶ की राशि के 79 आकस्मिक बिलों के विस्तृत आकस्मिक बिल अभी वांछित थे।

2.4.4 सामान्य भविष्य निधि के संबंध में भुगतान की सूची के साथ डेबिट वाउचर संलग्न नहीं पाए गए

हर महीने विभिन्न खजानों के कुछ सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) डेबिट वाउचर भुगतान की सूची के साथ संलग्न नहीं पाए गए थे, जैसे कि डेबिट वाउचरों की कवरिंग सूची। प्रथम स्तर पर भुगतान की सूची में उपलब्ध सूचना के आधार पर व्यक्तिगत जी.पी.एफ. खातों में इंद्राज किया गया था। इन डेबिट वाउचरों की प्राप्ति पर इस कार्यालय के रिकॉर्ड के साथ फिर से सत्यापन करना पड़ता है। यह समस्या लंबी अवधि से विद्यमान है।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि कई मामलों में मुख्य शीर्ष 8009-104 से संबंधित राशि मुख्य शीर्ष 8009-101 और इसके उल्ट क्रम में बुक की गई थी, जिसके कारण उचित व्यक्तिगत जी.पी.एफ. खाते में अंशदान पोस्ट करने में देरी हुई।

2.4.5 नई पेंशन योजना के अंतर्गत प्रेषणों में विसंगतियां

हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2008 में नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) शुरू की थी। इस स्कीम के अंतर्गत, मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के बराबर राशि की हर महीने वेतन से कटौती की जाती है और उतनी ही राशि का योगदान सरकार द्वारा अपने शेयर के रूप में किया जाता है। उसके बाद, संबंधित खजाना अधिकारी कर्मचारी की स्थायी सेवानिवृत्ति

⁶ 2015-16 तक (दो ए.सी. बिल) - ₹ 2.59 करोड़, 2016-17 (आठ ए.सी. बिल) - ₹ 1.51 करोड़ तथा 2017-18 (69 ए.सी. बिल) - ₹ 52.85 करोड़।

खाता संख्या (पी.आर.ए.एन.) में राशि जमा करने के लिए पूरी राशि को नेशनल सिक्क्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) के पास जमा कराता है।

यह देखा गया कि खजाना अधिकारी समय पर राशियां एन.एस.डी.एल. को प्रेषण नहीं कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, जींद ट्रेजरी द्वारा 2016-17 में ₹ 9.32 करोड़ की राशि का एन.पी.एस. अंशदान कम जमा किया गया है।

चूंकि, एन.पी.एस. एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, जहां निवेश केवल एन.एस.डी.एल. के पास राशियां प्राप्त होने के बाद ही किया जा सकता है। अंशदान के प्रेषण में देरी के कारण कर्मचारियों को उच्चतम रिटर्न नहीं मिल पाती तथा परिणामस्वरूप कर्मचारियों का संचित कोष एवं सेवानिवृत्ति पर पेंशन प्रभावित होते हैं।

2.5 बजटीय अनुमानों के विश्लेषण का परिणाम

2.5.1 अवास्तविक बजट अनुमान

वर्ष 2017-18 के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया ₹ 92,384.38 करोड़ का मूल बजट ₹ 93,685.52 करोड़ तक संशोधित किया गया था। इसके विरुद्ध 2017-18 के दौरान ₹ 88,190.15 करोड़ का वास्तविक व्यय किया गया था। वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय के विवरण तालिका 2.5 में दिए गए हैं:

तालिका 2.5: 2013-18 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
मूल बजट	53,073.59	59,451.23	69,140.29	88,781.96	92,384.38
संशोधित अनुमान	53,548.30	61,449.82	85,037.30	84,132.15	93,685.52
वास्तविक व्यय	46,597.31	53,676.27	79,394.32	79,781.44	88,190.15
बचत/आधिक्य	6,950.99	7,773.55	5,642.98	4,350.71	5,495.37

इसी प्रकार, ₹ 74,813 करोड़ की अनुमानित प्राप्तियां ₹ 76,445 करोड़ तक संशोधित की गई थी जिसके विरुद्ध वास्तविक प्राप्तियां ₹ 69,076 करोड़ थीं जैसा तालिका 2.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: प्राप्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
मूल बजट	44,098	48,058	52,717	63,666	74,813
संशोधित अनुमान	42,033	45,821	54,642	60,784	76,445
वास्तविक प्राप्तियां	38,284	41,090	47,915	53,496	69,076
कमी/आधिक्य	3,749	4,731	6,727	7,288	7,369

2.5.2 संसाधनों का वास्तविक पूर्वानुमान

पंजाब स्टेट बजट मैनुअल के नियम 4.2 के अनुसार संशोधित अनुमानों के पूर्वानुमान जहां तक संभव हों यथार्थ बनाए जाने चाहिए कि वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां क्या होंगी तथा इसलिए उन्हें तैयार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में वर्ष के बीत चुके महीनों की वास्तविक प्राप्तियां होंगी। यदि कोई अधिकारी देखता है कि राजस्व के विशेष स्रोत से वास्तविक प्राप्तियां पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में वृद्धि या कमी प्रकट करती हैं तो वह शेष महीनों के दौरान उसी दर पर वृद्धि या गिरावट की निरंतरता को मान सकता है। इस प्रकार, अनुमान हमेशा सरकार की प्राप्तियों और व्यय को ध्यान में रखने के पश्चात प्रस्तुत किए जाने चाहिए तथा जहां तक संभव हों यथार्थ होने चाहिए। तथापि, यह देखा गया था कि कर-भिन्न राजस्व पूर्वानुमानों के लिए 2017-18 का संशोधित अनुमान ₹ 17,023.61 करोड़ था जबकि वास्तविक प्राप्ति ₹ 14,297.97 करोड़ थी परिणामतः ₹ 2,725.64 करोड़ की अधोमुखी भिन्नता हुई। इसी प्रकार, वर्ष 2017-18 के लिए कर राजस्व ₹ 53,061.52 करोड़ पर अनुमानित था जबकि वास्तविक प्राप्ति ₹ 48,396.90 करोड़ थी परिणामतः पूर्वानुमान से नीचे ₹ 4,664.62 करोड़ की भिन्नता हुई। इस संबंध में गत पांच वर्षों के पूर्वानुमान नीचे तालिका 2.7 में दिए गए हैं।

तालिका 2.7: वास्तविक की तुलना में कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के पूर्वानुमान

(₹ करोड़ में)				
वर्ष	विवरण	संशोधित अनुमान	वास्तविक	अंतर
2013-14	कर राजस्व	30,234.52	28,909.84	1,324.68
	कर-भिन्न राजस्व	11,401.42	9,102.24	2,299.18
2014-15	कर राजस्व	33,402.75	31,182.66	2,220.09
	कर-भिन्न राजस्व	12,016.39	9,616.00	2,400.39
2015-16	कर राजस्व	40,436.10	36,425.31	4,010.79
	कर-भिन्न राजस्व	13,731.25	11,131.24	2,600.01
2016-17	कर राजस्व	45,087.63	40,623.15	4,464.48
	कर-भिन्न राजस्व	15,239.46	11,873.67	3,365.79
2017-18	कर राजस्व	53,061.52	48,396.90	4,664.62
	कर-भिन्न राजस्व	17,023.61	14,297.97	2,725.64

2.5.3 विकास योजनाओं में कमियां

2017-18 के दौरान विकास स्कीमों के लिए ₹ 39,772.65 करोड़ का संशोधित आकलन किया गया था। विकास स्कीमों पर ₹ 33,551.85 करोड़ की राशि खर्च की गई थी, जो उपर्युक्त राशि का 84.36 प्रतिशत तथा पूर्वानुमानों से कम था। भिन्नताएं, निम्न तथ्यों के कारण थी:

- i) 2017-18 के लिए ₹ 4,105.26 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय वाली कुल 25 योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई थी तथा संशोधित अनुमानों में पूर्ण रूप से निकाल दी गई थी (परिशिष्ट 2.8)।
- ii) 2017-18 के लिए अनुमोदित परिव्यय में 25 योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 2,110.83 करोड़ का प्रावधान संशोधित अनुमान में ₹ 144.93 करोड़ तक कम कर दिया गया था किंतु इन स्कीमों के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था (परिशिष्ट 2.9) जिसके लिए कारण नहीं दिए गए थे।

- iii) अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित परिव्यय में 15 योजनाओं के अंतर्गत ₹ 83.73 करोड़ का प्रावधान किया गया था किंतु वर्ष 2017-18 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था (**परिशिष्ट 2.10**)।
- iv) 10 योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 167.06 करोड़ का प्रावधान ₹ 290.89 करोड़ तक बढ़ाया गया था जिसके विरुद्ध वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 37.22 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि मूल अनुमानों का 22 प्रतिशत था। आगे, पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों में की गई वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि कुल व्यय मूल अनुमानों से भी कम था (**परिशिष्ट 2.11**)।
- v) 55 विकास योजनाओं, जिनके निष्पादन के लिए 2017-18 के दौरान ₹ 4,265.33 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमानों में ₹ 2,697.74 करोड़ तक कम कर दिया गया था। इन योजनाओं पर केवल ₹ 1,593.43 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि संशोधित परिव्यय का 59 प्रतिशत था (**परिशिष्ट 2.12**)।
- vi) एक योजना, जिसके लिए 2017-18 के दौरान कार्यान्वयन हेतु ₹ 50 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमानों में ₹ 20 करोड़ तक कम किया गया था, किंतु ₹ 34.95 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि संशोधित अनुमान का 175 प्रतिशत था।
- vii) 56 योजनाएं, जिनके लिए संशोधित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित अनुमानों में ₹ 2,066.88 करोड़ का प्रावधान किया गया था, किंतु ₹ 937.18 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि किए गए प्रावधान से बहुत कम था जैसा कि **परिशिष्ट 2.13** में विवरण दिया गया है।
- viii) तीन योजनाएं, जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय में कोई प्रावधान नहीं किया गया था किंतु संशोधित अनुमान में ₹ 8.47 करोड़ शामिल किए गए। इन योजनाओं पर किया गया ₹ 2.73 करोड़ का व्यय किए गए प्रावधान से कम था जैसा कि **परिशिष्ट 2.14** में विवरण दिया गया है।
- ix) दो योजनाएं, जिनके लिए 2017-18 के दौरान कार्यान्वयन हेतु ₹ 155.03 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमानों में ₹ 184.53 करोड़ तक बढ़ा दिया गया था, किंतु ₹ 237.19 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि संशोधित अनुमान का 129 प्रतिशत था जैसा कि **परिशिष्ट 2.14** में विवरण दिया गया है।
- x) पांच नई योजनाएं, जिनके लिए संशोधित अनुमानों में ₹ 30.90 करोड़ का प्रावधान किया गया था तथा दो स्कीमों जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान ₹ 2.55 करोड़ से बढ़कर ₹ 9.12 करोड़ किया गया था किंतु वर्ष 2017-18 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था जैसाकि (**परिशिष्ट 2.15**) में दर्शाया गया है।
- xi) 12 योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 987.08 करोड़ का प्रावधान ₹ 2,505.53 करोड़ तक बढ़ाया गया था जिसके विरुद्ध वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 1,809.85 करोड़ का व्यय किया गया था। आगे, पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों में की गई वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि इन योजनाओं का कुल व्यय संशोधित अनुमानों का 72 प्रतिशत था (**परिशिष्ट 2.16**)।

2.6 चयन किए गए अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

दो अनुदानों (अनुदान संख्या "10-तकनीकी शिक्षा" तथा अनुदान संख्या "24-सिंचाई") के व्यय पर बजटीय प्रक्रिया तथा नियंत्रण की समीक्षा संचालित (जुलाई-अगस्त 2018) की गई थी। मूल अनुदान, पूरक मांगों और वास्तविक व्यय में विविधता के आयाम का विश्लेषण किया गया।

2.6.1 अनुदान संख्या 10-तकनीकी शिक्षा

2017-18 के लिए अनुदान की समीक्षा के दौरान अवलोकित महत्वपूर्ण बिंदु नीचे वर्णित हैं:

- (i) पिछले पांच वर्षों (2013-14 से 2017-18) के लिए राजस्व दत्तमत खंड के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति तालिका 2.8 में दी गई है।

तालिका 2.8: बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरण और बचत/आधिक्य का विवरण

वर्ष	मूल प्रावधान	पूरक	कुल	व्यय	बचत(-)/आधिक्य (+) (प्रतिशत में)
	(₹ करोड़ में)				
2013-14	373.50	शून्य	373.50	294.82	(-) 78.68 (21)
2014-15	491.20	शून्य	491.20	354.12	(-) 137.08 (28)
2015-16	464.72	9.00	473.72	380.25	(-) 93.47 (20)
2016-17	421.42	50.00	471.42	373.23	(-) 98.19 (21)
2017-18	437.84	शून्य	437.84	345.23	(-) 92.61 (21)

- * कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

वर्ष 2013-18 के दौरान व्यय प्रक्षेपित बजट प्रावधान से कम रहा तथा राजस्व (दत्तमत) खंड के अंतर्गत 20 एवं 28 प्रतिशत के मध्य सतत् बचत थी। यह दर्शाती है कि बजट में अवास्तविक प्रावधान किए गए थे।

- (ii) राजस्व (दत्तमत) खंड के अंतर्गत 12 उप-शीर्षों में ₹ 254.04 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 161.29 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 92.75 करोड़ की बचत हुई। यह दर्शाती है कि बजट में अवास्तविक प्रावधान किए गए थे। परिशिष्ट 2.17 में दिए गए विवरणानुसार बचत कुल प्रावधान के 18 तथा 100 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।
- (iii) सात उप-शीर्षों में, परिशिष्ट 2.18 में दिए गए विवरणानुसार वर्ष 2015-18 के दौरान सतत् बचत कुल प्रावधान के 14 तथा 100 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

- (iv) चार⁷ स्कीमों/शीर्षों के लिए किया गया ₹ 26.01 करोड़ का समग्र बजटीय प्रावधान वित्तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर अप्रयुक्त पड़ा रहा तथा ₹ 26.01 करोड़ की राशि का समग्र बजट प्रावधान पुनर्विनियोजन के माध्यम से वापस कर दिया गया था।
- (v) 10 स्कीमों में ₹ 17.78 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 11.56 करोड़ (65 प्रतिशत) का व्यय 2017-18 की अंतिम तिमाही के दौरान तथा मार्च 2018 में ₹ 9.75 करोड़ (55 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। इन 10 स्कीमों में से पांच स्कीमों पर 100 प्रतिशत व्यय अंतिम तिमाही के दौरान किया गया था (परिशिष्ट 2.19)।

2.6.2 अनुदान संख्या 24-सिंचाई

2017-18 के लिए अनुदान की समीक्षा के दौरान अवलोकित महत्वपूर्ण बिंदु नीचे वर्णित हैं:

- (i) पिछले पांच वर्षों (2013-14 से 2017-18) के लिए अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति तालिका 2.9 में दी गई है।

तालिका 2.9: बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरण और बचत/आधिक्य का विवरण

वर्ष	खंड	मूल प्रावधान	पूरक	कुल	व्यय	बचत(-)/आधिक्य (+)
		(₹ करोड़ में)				
2013-14	राजस्व (दत्तमत)	1,509.37	शून्य	1,509.37	1,126.83	(-) 382.54 (25)
	पूंजीगत (दत्तमत)	639.00	शून्य	639.00	852.26	(+) 213.26 (33)
2014-15	राजस्व (दत्तमत)	1,621.54	3.95	1,625.49	1,113.49	(-) 512.00 (31)
	पूंजीगत (दत्तमत)	510.24	शून्य	510.24	913.13	(+) 402.89 (79)
2015-16	राजस्व (दत्तमत)	1,717.22	शून्य	1,717.22	1,358.06	(-) 359.16 (21)
	पूंजीगत (दत्तमत)	550.20	50.00	600.20	811.20	(+) 211.00 (35)
2016-17	राजस्व (दत्तमत)	1,867.32	शून्य	1,867.32	1,355.20	(-) 512.12 (27)
	पूंजीगत (दत्तमत)	655.50	शून्य	655.50	832.49	(+) 176.99 (27)
2017-18	राजस्व (दत्तमत)	1,910.16	12.27	1,922.43	1,402.80	(-)519.63 (27)
	पूंजीगत (दत्तमत)	764.17	60.65	824.82	915.94	(+)91.12 (11)

* कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचतों/आधिक्य की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

⁷ (i) तकनीकी शिक्षा (₹ 0.01 करोड़) हरियाणा गवर्नेस रिफॉर्म अथोरिटी (एच.जी.आर.ए.) की सिफारिश का कार्यान्वयन, (ii) विद्यमान पॉलीटेकनीकों का आधुनिकीकरण (₹ छः करोड़), (iii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.), किलोहर्ड, सोनीपत की स्थापना (₹ 10 करोड़) तथा (iv) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पंचकूला की स्थापना (₹ 10 करोड़) ।

वर्ष 2013-18 के दौरान व्यय प्रक्षेपित बजट प्रावधान से कम रहा तथा राजस्व (दत्तमत) खंड के अंतर्गत कुल प्रावधान के 21 एवं 31 प्रतिशत के मध्य सतत् बचत थी।

आगे, वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजीगत (दत्तमत) शीर्ष के अंतर्गत ₹ 824.82 करोड़ (मूल: ₹ 764.17 करोड़ तथा पूरक: ₹ 60.65 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 915.94 करोड़ का व्यय किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 91.12 करोड़ का अधिक व्यय हुआ जिसका विधान मंडल से विनियमन अपेक्षित है। इस अनुदान में, गत पांच वर्षों के लिए पूंजीगत (दत्तमत) खंड के अंतर्गत लगातार ₹ 50 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त व्यय (कुल प्रावधान का 11 तथा 79 प्रतिशत के मध्य) देखा गया।

सरकार, अधिक व्यय के रेगुलराइजेशन के लिए लोक लेखा समिति सचिवालय के साथ मामला उठाने पर विचार कर सकती है।

- (ii) कैनाल एरिया विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ₹ 217.27 करोड़ (बजट प्रावधान: ₹ 205 करोड़ तथा पूरक प्रावधान: ₹ 12.17 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 105 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 112.27 करोड़ (कुल प्रावधान का 52 प्रतिशत) की बचत हुई। इन स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त किए गए ₹ 12.27 करोड़ के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से कम था।
- (iii) राजस्व शीर्ष के अंतर्गत, आठ उप-शीर्षों में ₹ 840.69 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 168.26 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 672.43 करोड़ की बचत हुई। बचत, कुल प्रावधान के 52 एवं 96 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी। पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत, 12 उप-शीर्षों में ₹ 669.15 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 370.83 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 298.32 करोड़ की बचत हुई। पूंजीगत भारत शीर्ष के अंतर्गत, एक उप-शीर्षों में ₹ 70 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 57.61 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.39 करोड़ (18 प्रतिशत) की बचत हुई (परिशिष्ट 2.20)।
- (iv) राजस्व शीर्ष के अंतर्गत, वर्ष 2017-18 के दौरान 10 स्कीमों में ₹ 571.40 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 109.27 करोड़ की राशि सरेंडर की गई थी। पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत, चार स्कीमों में ₹ 62.21 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 53.57 करोड़ की राशि सरेंडर की गई थी। इस प्रकार, अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण के कारण बचत पूर्णतया सरेंडर नहीं की गई थी तथा ये निधियां सरकार की अन्य विकास स्कीमों/कार्यक्रमों पर उपयोग न हो सकी (परिशिष्ट 2.21)।
- (v) वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजीगत (दत्तमत) शीर्ष के अंतर्गत तीन मामलों में ₹ 30.32 करोड़ की बचत तथा पूंजीगत (भारित) शीर्ष के अंतर्गत एक मामले में ₹ 12.39 करोड़ की बचत के विरुद्ध क्रमशः ₹ 32.43 करोड़ तथा ₹ 13.83 करोड़ की राशि तालिका 2.10 में दिए गए विवरणानुसार सरेंडर की गई थी। क्रमशः ₹ 2.11 करोड़ तथा ₹ 1.44 करोड़ का अतिरिक्त सरेंडर कमजोर वित्तीय प्रबंध दर्शाता है।

तालिका 2.10: अतिरिक्त सरेंडर के विवरण

क्र. सं.	स्कीम का नाम तथा लेखा शीर्ष	बजट	व्यय	बचत	सरेंडर की गई राशि	अतिरिक्त
	पूँजीगत (दत्तमत)	(₹ करोड़ में)				
1	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या बहुल क्षेत्र में खालों के निर्माण एवं पुनरुद्धार कार्यों में सुधार (4700-16-789-99)	35.00	14.94	20.06	21.40	1.34
2	अन्य व्यय: भूमि की वार्षिकी (4701-07-800-97)	20.00	14.66	5.34	5.80	0.46
3	सिंचाई परियोजनाओं का डाटा संग्रहण	20.00	15.08	4.92	5.23	0.31
	कुल पूँजीगत (दत्तमत)	75.00	44.68	30.32	32.43	2.11
	पूँजीगत (भारित)					
4	अन्य व्यय: भू-मुआवजे का भुगतान (4701-80-800-98)	70.00	57.61	12.39	13.83	1.44
	कुल पूँजीगत (भारित)	70.00	57.61	12.39	13.83	1.44

- (vi) 12 माइनर शीर्षों/स्कीमों में वित्तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर ₹ 114.03 करोड़ का समग्र बजटीय प्रावधान अप्रयुक्त पड़ा रहा तथा ₹ 114.03 करोड़ की राशि का समग्र बजट प्रावधान पुनर्विनियोजन के माध्यम से वापस किया गया था जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 2.22** में दिए गए हैं।
- (vii) 24 मामलों में मूल अनुमानों/पूरक मांगों में बिना किसी प्रावधान के तथा बिना किन्हीं पुनर्विनियोजन आदेशों के ₹ 441.55 करोड़ का व्यय किया गया था (**परिशिष्ट 2.23**)।
- (viii) वर्ष 2015-18 के दौरान 13 उप-शीर्षों में, **परिशिष्ट 2.24** में दिए गए विवरणानुसार सतत बचतें कुल प्रावधान के 11 तथा 100 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थीं।
- (ix) सात स्कीमों पर 2017-18 के लिए ₹ 170.57 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 113.84 करोड़ (67 प्रतिशत) का व्यय वर्ष 2017-18 की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया था (**परिशिष्ट 2.25**)।

2.6.3 बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

वर्ष 2017-18 हेतु बजट अनुमान, प्रशासनिक विभाग तथा विभिन्न कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा 4 नवम्बर 2016 से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे। इसके विपरीत, अनुदान संख्या 10 और अनुदान संख्या 24 की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभागाध्यक्षों ने वित्त विभाग को अपने अनुमान क्रमशः छः तथा 61 दिनों के मध्य श्रृंखलित विलम्बों के पश्चात् क्रमशः 10 नवंबर 2016⁸, 21 नवंबर 2016⁹ तथा 4 जनवरी 2017¹⁰ को प्रस्तुत किए।

⁸ बजट अनुमान निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए।

⁹ बजट अनुमान अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए।

¹⁰ बजट अनुमान प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए।

2.7 निष्कर्ष

2017-18 के दौरान, ₹ 1,24,990.40 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरुद्ध ₹ 1,02,962.69 करोड़ का व्यय किया गया था। ₹ 22,027.71 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों में ₹ 22,568.31 करोड़ की बचत तथा दो अनुदानों के अंतर्गत ₹ 540.60 करोड़ के अधिक व्यय के कारण थी। जिसे वर्ष 2016-17 से संबंधित ₹ 256.98 करोड़ के अधिक व्यय के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित करवाए जाने की आवश्यकता थी।

59 मामलों में वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 22,731.21 करोड़ सरेंडर किए गए थे (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक का सरेंडर)। 15 मामलों में ₹ 9,158.16 करोड़ सरेंडर किए गए जोकि वास्तविक बचतों से ₹ 345.16 करोड़ अधिक थे। यह इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण दर्शाता है। 23 मामलों में ₹ 8,637.78 करोड़ की बचतों में से ₹ 418.09 करोड़ की बचतें सरेंडर नहीं की गईं। अनुचित विनियोजनों के मामले भी पाए गए।